

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, अधिनियम 1981, (बिहार अधिनियम, 31, 1982) की धारा-6 उपधारा (2) के खण्ड (छ) (ज) (झ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड मध्यमा परीक्षा के संचालन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

अध्याय - I

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

१. यह विनियमावली बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, परीक्षा विनियमावली 1994 कहलायेगी ।
२. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
३. यह तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

अध्याय - II

२. परिभाषायें - इस विनियमावली में जब तक कोई बात विषय - या संदर्भ के विरुद्ध न हो -

- (क) 'विनियमावली' से अभिप्रेत है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा, विनियमावली 1994 ;
- (ख) 'प्रधानाध्यापक या 'प्रधानाध्यापिका' से अभिप्रेत है, किसी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय का प्रधानाध्यापक ;
- (ग) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार की राज्य सरकार ;
- (घ) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ;
- (ड.) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष ;
- (च) 'संस्कृत विद्यालय' से अभिप्रेत है ऐसे विद्यालय जिन्हे संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से मान्यता प्राप्त हो ;
- (छ) 'सचिव' से अभिप्रेत है, बोर्ड का सचिव ;
- (ज) 'परीक्षा नियंत्रक' से अभिप्रेत है बोर्ड का परीक्षा नियंत्रक ;
- (झ) 'शिक्षक' से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय का शिक्षक जिसमें विद्यालय का प्रधान ;
- (ज) 'मान्यता प्राप्त' से अभिप्रेत है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ;

११११
११११
११११

- (ट) 'प्राशिनक' से अभिप्रेत है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा के लिये नियुक्त प्राशिनक ;
- (ठ) 'मर्यादक' (मोडरेटर) से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये नियुक्त मर्यादक ;
- (ड) 'सारणीकार' (टेबलेटर) से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशन के लिये नियुक्त सारणीकरणकर्त्ता ;
- (ढ) 'केन्द्राधीक्षक' से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी केन्द्र का केन्द्राधीक्षक ;
- (ण) 'केन्द्र' से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा परीक्षा संचालन हेतु चयनित केन्द्र ;
- (त) 'वीक्षक' से अभिप्रेत है, केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षण कार्य करने हेतु नियुक्त व्यक्ति ;
- (थ) 'पर्यवेक्षक' से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा का पर्यवेक्षण करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक ;
- (द) 'नियमित पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है, बोर्ड की परीक्षा हेतु विहित पाठ्यक्रम ;
- (घ) 'प्रप' से अभिप्रित है, विनियमावली द्वारा विहित प्रपत्र ;
- (न) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, अधिनियम 1981 ;
- (प) 'उत्प्रेषण तिथि' से अभिप्रेत है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बोर्ड द्वारा प्रपत्र एवं शुल्क ग्रहण करने की अंतिम तिथि ;
- (फ) 'नियमित छात्र' से अभिप्रेत है ऐसा छात्र जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकन कराकर नियमित अध्ययन करता हो ;
- (ब) 'पूर्ववर्ती छात्र' से अभिप्रेत है ऐसा नियमित छात्र जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा जो किसी कारणवश उत्प्रेषण के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका हो ;
- (भ) 'प्राप्तांक' से अभिप्रेत है, परीक्षा के विषयों में प्राप्त अंक ;
- (म) 'विलम्ब शुल्क' से अभिप्रेत है पंजीयन आवेदन के साथ प्राप्ति की निर्धारित तिथि के बाद एक माह विलम्ब शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि ;
- (य) 'पंजीयन' से अभिप्रेत है बोर्ड की परीक्षा प्रवेश हेतु छात्रों का पंजीयन ;
- (र) 'मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय' से अभिप्रेत है वैसा संस्कृत विद्यालय - राजकीय संस्कृत विद्यालय, तथा अराजकीय प्रस्त्रीकृत संस्कृत विद्यालय ।

*Concise
Notes*

अध्याय - 3

3. परीक्षार्थियों की पात्रता - सामान्यतः बोर्ड द्वारा ली जाने वाली माध्यमा परीक्षा निम्नांकित पात्रता के परीक्षार्थी भाग ले सकेंगे :-

- (क) वैसे छात्र जो मान्यता प्राप्त विद्यालय का नियमित छात्र हो ;
- (ख) वैसे छात्र, जो बोर्ड की परीक्षा में अनुउत्तीर्ण हुआ हो या जो उत्प्रेषण परीक्षा होने के बाद बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो तथा किसी प्रस्त्रीकृत संस्था में पुनः नामांकन नहीं कराया हो ;
- (ग) वैसे छात्र जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय का नियमित या पूर्ववर्ती छात्र नहीं हो ;
- (घ) जिस वर्ष में बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जायेगी उस वर्ष के 31 मार्च को परीक्षार्थी की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं हो ;
- (च) स्वतंत्र छात्र / नियमित छात्र के लिये विद्यालय की उत्प्रेषण परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ; पूर्ववर्ती छात्रों के लिये अगले 3 वर्षों तक उत्प्रेषण परीक्षा नहीं देनी होगी ;
- (छ) परीक्षार्थियों द्वारा विधिवत पंजीयन कराया गया हो ।

4. परीक्षार्थियों का पंजीयन ।

- (क) मध्यमा परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रत्येक छात्र को बोर्ड द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि बोर्ड में जमा कराकर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- (ख) नियमित/ स्वतंत्र परीक्षार्थियों से पंजीयन आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक शुल्क के साथ संस्था के प्रधान के माध्यम से 15 सितम्बर तक बोर्ड कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे ।
- (ग) निर्धारित तिथि के बाद 30 दिनों तक विलम्ब शुल्क के साथ पंजीयन आवेदन बोर्ड द्वारा ग्रहण किया जायेगा ।

Continued
11.11.1997

11.11.1997

(घ) पूर्ववर्ती / स्वतंत्र छात्र जिस विद्यालय के माध्यम से पंजीकृत हो उसी विद्यालय से परीक्षावेदन भरने के अधिकारी होंगे ।

(च) परीक्षावेदन पत्र भरने के एक माह पूर्व बोर्ड द्वारा पंजीयन संख्या या पंजीयन रसीद संबंधित संस्था के प्रधान को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

5. परीक्षा शुल्क ।

(क) सभी प्रकार के परीक्षा शुल्क एवं विलम्ब शुल्क का निर्धारण समय-समय पर सरकार की पूर्वनुमति से बोर्ड द्वारा किया जायेगा । निर्धारित तिथि के बाद 15 दिनों तक विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन बोर्ड द्वारा ग्रहण किये जायेंगे ।

(ख) परीक्षा शुल्क विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में बोर्ड कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा ।

6. परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र ।

(क) विभिन्न परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राधानाध्यापक के द्वारा अधिकारी आवेदन पत्र विहित शुल्क के साथ, विहित समय के भीतर बोर्ड/कार्यालय में दाखिल किया जायेगा ।

(ख) आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी का अद्यतन तीन पासपोर्ट साइज फोटो जो प्राधानाध्यापक/प्रभारी प्राधानाध्यापक द्वारा अभिप्रापणित हो, संलग्न किया जायेगा ।

(ग) नियमित छात्र के संबंध में प्राधानाध्यापक द्वारा निम्नलिखित आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा :-

(अ) वह विद्यालय का नियमित छात्र है ;

(आ) उसका नामांकन नियमानुसार विद्यालय में हुआ है ;

(इ) उसने नियमानुसार विद्यालय में अध्ययन किया है ;

(ई) उसके आचरण के विरुद्ध प्राधानाध्यापक को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) स्वतंत्र परीक्षार्थी के लिए खण्ड (ग) के शर्ते लागू नहीं होगा, परन्तु उनका परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्राधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

7. नेत्रहीन परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ छात्रों के लिए विशेष प्रावधान ।
- (क) नियमित नेत्रहीन परीक्षार्थी / लिखने में असमर्थ परीक्षार्थी का आवेदन पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भरकर उसे सुना दिया जायेगा । आवेदन पत्र पर परीक्षार्थी के बायें अंगूठे का निशान, पैर के बायें अंगूठे का निशान या यदि हाथ कट गये हों तो यथा स्थिति अंकित किया जायेगा । आवेदन पत्र पर लाल स्थाही से नेत्रहीन परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ परीक्षार्थी अंकित कर दिया जायेगा ।
- (ख) इस कोटि के परीक्षार्थियों के प्रश्नोत्तर लिखने की व्यवस्था प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेशानुसार केन्द्राधीक्षक करेंगे ।
- (ग) इस कोटि के परीक्षार्थी यदि स्थायी रूप से लिखने में असमर्थ हो तो परीक्षार्थी के खर्च पर लिखने वाले परिश्रमिक दिया जायेगा ।
- (घ) लिखने वाले की शैक्षणिक योग्यता हर हालत में परीक्षार्थी की योग्यता से कम की होगी ।

8. एक विषय में परीक्षा का प्रावधान - विनियमावली के अध्यधीन कोई छात्र यदि किसी एक ऐच्छिक विषय में परीक्षा देना चाहता हो तो वह स्वतंत्र छात्र के रूप में विहित शुल्क देकर गत परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर पुनः परीक्षा दे सकेगा ।

अध्याय - 4
परीक्षा का संचालन

9. बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा-कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा ली जायेगी ।
10. सरकार के आदेश के अध्यधीन बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्रों का चयन किया जायेगा । विशेष परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन जिला पदाधिकारी कर सकेगा ।
11. परीक्षार्थियों का केन्द्र परिवर्तन ।
- (क) यदि परीक्षार्थी के अभिभावक का स्थानान्तरण परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन माह के पूर्व हुआ हो और वह नये पद पर योगदान कर लिया हो तो संस्था के प्रधान द्वारा अनुशंसित आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन प्राप्ति होने पर बोर्ड के इस निमित्त गठित समिति जिसके सदस्य अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा

संस्था का संचालन

(२०१३)

नियंत्रक एवं सरकार द्वारा मनोनीत दो शिक्षक प्रतिनिधि होंगे, द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ 250 रूपये का सचिव के पदनाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जमा किया जायेगा ।

(ग) स्वतंत्र छात्र का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

12. प्रवेश पत्र - परीक्षावेदन के जांच के बाद परीक्षा प्रवेश पत्र संख्या के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ।

13. परीक्षा के विषय ।

मध्यमा परीक्षा में कुछ दस पत्र होंगे जिसमें आठ अनिवार्य, एक ऐच्छिक तथा एक अतिरिक्त पत्र होगा ।

प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 और उत्तीर्णांक 33 होगा ।

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये 540 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिये 405 अंक तथा तृतीय श्रेणी के लिये 297 अंक होंगे ।

अनिवार्य विषय	नाम
प्रथम पत्र	वेद
द्वितीय पत्र	व्याकरण
तृतीय पत्र	संस्कृत साहित्य
चतुर्थ पत्र	सामान्य संस्कृत
पंचम पत्र	भारतीय भाषा (हिन्दी)
षष्ठ पत्र	हिन्दी साहित्य
सप्तम पत्र	इति० भूगोल स० ३० (सामाजिक विज्ञान)
अष्टम पत्र	सामान्य गणीत ।

ऐच्छिक / अतिरिक्त विषय की सूची -

- (क) अंग्रेजी
- (ख) अर्थशास्त्र
- (ग) सामान्य विज्ञान
- (घ) गृह विज्ञान
- (ड.) कृषि
- (च) वाणिज्य

संलग्न
संलग्न

उपर्युक्त विषयों में से कोई एक विषय ऐच्छिक तथा एक विषय अतिरिक्त के रूप में ग्रहण किये^{जाएँ} सकेंगे। अतिरिक्त पत्र में प्राप्त अंक में से 30 अंक घटाकर योगांक में जोड़ते हुये श्रेणी घोषित की जायेगी परन्तु अतिरिक्त विषय में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षाफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति - बोर्ड द्वारा सामान्यतः व्यक्ति केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जायगा, जो परीक्षा केन्द्र से संबंधित विद्यालय का प्रधान हो। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर वह सचिव को अपनी स्वीकृति भेजेगा। स्वीकृति पत्र भेजते समय वह यह भी सूचित करेगा कि उक्त केन्द्र पर उसका कोई निकट सम्बन्धी या आश्रित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

15. केन्द्राधीक्षक के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

- (क) यदि प्रश्न पत्र किसी खास स्थान पर सुरक्षित रखा गया हो तो वहाँ के सक्षम व्यक्ति से सम्पर्क कर समय पर प्रश्न प्राप्त करना तथा उन्हें केन्द्र तक ले जाने की व्यवस्था करना;
- (ख) प्रश्न पत्रों के प्रेषण का जो विवरण प्राप्त होगा उरारे विषयवार प्रश्न पत्रों की संख्या का मिलान रोल सीट के आधार पर प्राक्कलित की गयी आवश्यक संख्या से करना, जिस विषय का प्रश्न पत्र नहीं भेजा गया है या आवश्यकता से कम भेजा गया हो तो इसकी सूचना सचिव/परीक्षा नियंत्रक को देना जो आवश्यकतानुसार उपर्युक्त संख्या में प्रश्न पत्रों^{जैसे} की आपूर्ति की कारवाई करेगा।
- (ग) परीक्षा आरम्भ होने के एक दिन पहले वीक्षकों को बुलाकर बैठक करना तथा उन्हें कार्यों एवं दायित्वों से अवगत करायेगा।
- (घ) परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था करेगा।
- (च) भिन्न - भिन्न बैठकों के लिये विषय अनुसार परीक्षार्थियों की सूची के आधार पर पूर्व में ही बैठने की योजना बना लेना, तथा उसी योजना के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट के सामने डेस्क पर क्रमांक परची साटने की व्यवस्था करेगा। यह व्यवस्था सीट (स्थान) में परिवर्तन के प्रत्येक अवसर पर किया जाये।

16. वीक्षकों के कर्तव्य एवं दायित्व।

- (क) उत्तर पुस्तिका वितरण करने के पूर्व वह अमस्त हो लेगा कि उसके कमरे में सभी परीक्षार्थी यथास्थान अपने आवर्टित सीटों पर ही बैठे।

*Continued
11/11/2011*

(ख) वह यह भी देखेगा कि डेस्क, बेच या उसके आस पास कोई चिट, पूर्जा, किताब आदि अनाधिकृत वस्तुयें नहीं पड़ी हैं।

(ग) प्रश्न पत्र वितरण के पूर्व श्रेष्ठ परीक्षार्थियों को चेतावनी देगा कि उनके पास अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई चिट, पूर्जा, किताब या अनाधिकृत कागजात हो तो वे उसे सौंप दे अन्यथा प्रश्न पत्र वितरण के बाद परीक्षार्थियों के पास वैसी चीज बरामद होगी तो वे कदाचार के भागी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध आवश्यक कारवाई की जायेगी।

(घ) वह देखेगा कि सभी परीक्षार्थी को सही प्रश्न पत्र मिला।

(च) वह उत्तरपुस्तिकाओं एवं प्रश्न पत्र वितरण के पश्चात अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या से मिलान करते हुये शेष उत्तर पुस्तिकाओं तथा प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के तीस मिनट के बाद केन्द्राधीक्षक को अनिवार्यतः वापस करेगा।

(छ) विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा में शामिल करायेगा। आधा घंटा से अधिक विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी को किसी भी अवस्था में परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देगा।

(ज) परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति, एवं अनुपस्थिति से सम्बन्धित विवरण विहित प्रपत्र में रखेगा।

(म) परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थियों से सभी उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति देगा।

(ठ) परीक्षार्थी से उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते समय वह देखेगा कि उत्तरपुस्तिका पर मुहर, रोल कोड एवं क्रमांक अंकित हो तथा उसके सभी पृष्ठ सही हों। उसे यह सदैह हो कि उत्तरपुस्तिकाओं में कोई अनाधिकृत पृष्ठ जोड़ा गया हो, या पृष्ठ निकाल लिया गया हो, तो वह वैसी उत्तरपुस्तिका को केन्द्राधीक्षक को दिखायेगा, और केन्द्राधीक्षक परीक्षार्थी से पूछताछ कर अपने रिपोर्ट के साथ परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा।

(इ) परीक्षार्थी की उपस्थिति के अनुसार ही क्रमवार उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या मिलाकर उन्हें केन्द्राधीक्षक को सौंपकर परीक्षा केन्द्र छोड़ेगा।

(द) यदि कोई परीक्षार्थी चिट, पूर्जा, पुस्तक से नकल करते हुये पकड़ा जायेगा तो वह परीक्षा कक्ष के प्रभारी को इसकी सूचना देगा जो परीक्षा उत्तरपुस्तिका तथा चिट, पूर्जा के साथ केन्द्राधीक्षक को लिखित सूचना देगा।

17. परीक्षा में कदाचारिता की जांच - परीक्षा में कदाचारिता के संबंध में प्राप्त सभी मामलों की जांच के लिये बोर्ड एक उप समिति का गठन कर सकेगी। इस उप समिति में आवश्यकतानुसार बोर्ड के सदस्य अथवा बाहरी व्यक्ति का भी मनोनयन किया जा सकेगा। इस उप समिति द्वारा किन - किन बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन देना है बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया जायेगा।

उप समिति के जांच प्रतिवेदन पर बोर्ड सम्यक कारबाई कर सकेगा।

उप समिति के सदस्यों का मानदेय एवं यात्रा भत्ता का दर बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं भुगतान किया जा सकेगा।

18. विखन्डित / पूरक परीक्षा - बोर्ड प्रति वर्ष पूरक परीक्षा तथा किसी विशेष वर्ष में विखन्डित परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगी। वैसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों अथवा वार्षिक में सम्मिलित न हो सके हों या विद्यालय द्वारा पूरक परीक्षा के लिये ही उत्प्रेषित हुये हो तो वे पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

19. यदि परीक्षार्थी दूतक रोग से ग्रस्त हो तो सामान्य छात्रों के साथ उसे परीक्षा में बैठने का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार उसे अलग कमरे में परीक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

20. बोर्ड का उत्तरदायित्व होगा कि परीक्षा संचालन से सम्बन्धित योग्य व्यक्तियों की सूची प्रति वर्ष तैयार करें और उसकी गोपनीयता अभूत रहे।

21. यदि परीक्षा की अवधि में अध्यक्ष को समाधान हो जाये कि परीक्षा की अवधि में परीक्षाफल सम्बद्ध किसी व्यक्ति का ऐसा कोई आचरण हो जिससे परीक्षा की गोपनीयता एवं पवित्रता पर आंच आये तब वह उसे परीक्षा कार्य से वंचित कर सकता है।

21. परीक्षा कार्य हेतु नियुक्ति की पद्धति, अर्हतायें एवं अन्य शर्तें।

- (क) संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा 6(2) के प्रावधान के आलोक में अध्यक्ष मध्यमा स्तर की परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षकों, मर्यादकों, सारणीयकों परीक्षकों, प्रधान परीक्षकों तथा मूल्यांकन के संबंध में अन्य व्यक्तियों जैसे केन्द्र निदेशक, मूल्यांकन निदेशक आदि की नियुक्ति करेगा। बोर्ड के सदस्य उपर्युक्त कार्य के लिये नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

संस्कृत
परीक्षा
बोर्ड

१०२०८

- (ख) वह व्यक्ति प्राशिनक एवं मर्यादक की नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा यदि-
- (अ) उसके निकट के संबंधी, सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित हो तो-
नोट -निकट संबंधी से अभिप्रेत है - पत्नी, पति, पिता, माता, पुत्र,
पुत्री, नतिनी या पोती, नाती या पोता, भाई-बहन, भतीजा, चाचा, चाची,
दामाद, साला एवं साली ;
 - (आ) पिछले दो वर्षों के पूर्व से वैसे छात्र का प्राइवेट ट्यूटर हो जो परीक्षा
में सम्मिलित हो रहा हो ;
 - (इ) यदि वह बोर्ड का कोई अधिकारी हो ;
 - (ई) यदि बोर्ड द्वारा उसका नाम किसी कारणवश स्वीकृत सूची से हटा दिया
गया हो ।
- (ग) सामान्यतः एक पत्र के लिये एक प्राशिनक नियुक्त होगा । मर्यादकों की संख्या
प्रत्येक पत्र के लिये कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच होगी ।
- (घ) प्राशिनक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आचार्य अथवा स्नातक की होगी
तथा दस वर्षों का सम्बन्धित विषय का अनुभव होगा ।
- (च) मर्यादकों की शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो प्राशिनक की है परन्तु इसके
अलावे उन्हें कम से कम तीन वर्षों का प्राशिनक के रूप में अनुभव होना
अनिवार्य है ।
- (छ) वे ही व्यक्ति सारणीकार के रूप में नियुक्त किये जायेंगे जिनकी योग्यता स्नातक
अथवा समकक्ष हो तथा जो गणित की जानकारी रखता हो अथवा कम्प्यूटर से
हो ।
- (ज) विषय से संबंधित वैसे ही व्यक्तियों की नियुक्ति परीक्षक के रूप में होगी
जिनकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा से संबंधित विषयों में कम से कम स्नातक एवं
समकक्ष की हो तथा कम से कम पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव हो ।
- (झ) वैसे व्यक्ति ही प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त होंगे जिन्हें कम से कम पांच
वर्षों का परीक्षण अनुभव एवं 10 वर्षों का अध्यापन का अनुभव होगा ।

22. प्राशिनक एवं मर्यादकों का कर्तव्य

- (क) प्रश्न चयनकर्ता/मर्यादक प्रश्नों के चयन एवं मर्यादन में बोर्ड द्वारा निर्धारित
पाठ्यक्रम, पाठ्य ग्रन्थावली एवं परीक्षार्थियों की योग्यता स्तर का ध्यान में रखकर
ही कार्य करेगा ।

Continued on page 111

(घ) प्रश्नों का चयन ऐसा हो कि परीक्षा से संबंधित सामान्य छात्र परीक्षा के निवारित अवधि में उत्तर दे सकें। यथा संभव पाठ्यक्रम में लगभग सभी खण्डों से संबंधित प्रश्नों का चयन होगा।

(ग) परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे जिससे साम्प्रदायिक तनाव की संभावना हो अथवा किसी धर्मावलम्बी की धर्मिक भावना पर आंच आता हो।

(घ) प्रश्न चयन की पद्धति एवं प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिससे छात्र को कठिनाई का सामना करना पड़े।

(च) मर्यादिक मण्डल चयनित प्रश्नों की समीक्षा के सिलसिले में सामान्य सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा। इस सिद्धान्तों के अनुसरण में वह प्रश्नों की भाषा में हेर-फेर अथवा परिवर्तन कर सकता है, जो वह उचित समझे। यदि अनुरीमक मण्डल की राय में किसी विषय के प्रश्न पूर्णरूपेण अनुचित हो अथवा स्तर से काफी ऊँचा हो तो उस पत्र के प्रश्न को अस्वीकृत कर दूसरा प्रश्न का चयन किया जा सकेगा।

(छ) प्राशिनक एवं मर्यादिक प्राधिकृत व्यक्ति को प्रश्न पत्र हस्तगत कराने के पूर्व लिफाफों पर अपना मुहर लगायेगा।

(ज) प्रश्न पत्र से संबंधित कोई अभिलेख प्राशिनक/मर्यादिक अपने पास नहीं रखेगा और अध्यक्ष/सचिव को लिखित प्रमाण पत्र देगा कि वह संबंधित अभिलेखों को नष्ट कर दिया है।

अ. परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र प्रानिक, मर्यादिक एवं प्रधान परीक्षकों की एक बैठक बुलायी जायेगी जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर तथा अंक देने की पद्धति तय किया जायेगा। यदि अप्रत्याशित कारणों से कोई सदस्य बैठक में उपस्थित न हो तो शेष उपस्थित सदस्य इस कार्य को पूरा करेगा। बैठक में लिये गए निर्णय का एक मेमोरेन्डम बनाकर अध्यक्ष/सचिव को आगे की कार्रवाई हेतु दिया जायेगा।

२३ २५. प्रधान परीक्षकों का कर्तव्य।

(क) प्रधान परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने अधीन के सभी सह परीक्षकों के बीच तालमेल बैठाते हुए उत्तर पुस्तिका के परीक्षण एवं अंक देने के संबंध में एकरूपता रखते हुए मेमोरेन्डम के आलोक में सह परीक्षक को मार्ग दर्शन दे तथा उनकी अन्य शंकाओं का समाधान करें।

Continued...
11

31/11/2017

- (ख) प्रधान परीक्षक प्रत्येक सह परीक्षक द्वारा परीक्षित कम से कम 10 उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करेगा और आवश्यक परामर्श देना जो वह उचित समझे ।
- (ग) प्रधान परीक्षक सह परीक्षक द्वारा परीक्षित उत्तर पुस्तिकाओं का 15 प्रतिशत पुनर्परीक्षण करेगा । परीक्षक के स्तर में यदि परिवर्तन हो तो वह दिये गये अंकों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है । सह परीक्षक के परीक्षण से यदि वह पूर्ण रूपेण असंतुष्ट हो तो वह उसकी सूचना परीक्षा संयोजक/ प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित रूप में देगा । सह परीक्षकों द्वारा दिये अंक विवरणी को समीक्षोपरान्त वह विनिर्दिष्ट, सारणीकार अथवा परीक्षा संयोजक द्वारा निर्देशित व्यक्ति को हस्तगत करायेगा ।
- (घ) प्रधान परीक्षक सह परीक्षकों द्वारा अंकित अंकों के योग एवं मुख्य पृष्ठ के संगत स्तम्भ में प्रत्यावर्तित अंकों की जांच करेगा ।
- (च) प्रधान परीक्षक सह परीक्षकों द्वारा समर्पित मार्कर्स स्तिप पर चढ़ाये गये अंकों की जांच उत्तर पुस्तिका से करेगा ।
- (छ) प्रधान परीक्षक परीक्षण कार्य की समाप्ति पर सह परीक्षकों के कार्य विवरणी से संबंधित प्रतिवेदन अध्यक्ष/सचिव को देगा ।
24. सह परीक्षक का कर्तव्य ।
- (क) सह परीक्षक हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति के पश्चात उसे गिनेगा तथा किसी प्रकार की त्रुटि की सूचना उस व्यक्ति को देगा जिससे वह उत्तरपुस्तिका प्राप्ति करता है । उत्तरपुस्तिका के साथ उसे संबंधित प्रश्न पत्र वो भी एक प्रति हस्तगत करायी जायेगी । यदि भूल से उसे किसी दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिका प्राप्ति हो तो वह उसे सक्षम पदाधिकारी को लौटा देगा ।
- (ख) सह परीक्षक अंक देने में भाषा की शुद्धता को ध्यान में रखेगा तथा यह भी देखेगा कि उत्तर में मात्र स्मरण शक्ति का सहारा लिया गया है, या उत्तर से छात्र की प्रतिभापूर्ण अभिव्यक्ति का आभास मिलता है ।
- (ग) सह परीक्षक यदि प्रश्न में कई उपखण्ड हो तो प्रत्येक उपखण्ड के नीचे अंक देगा तथा सम्पूर्ण प्रश्न के अंत में योग कर गोल से घेर देगा तथा मुख्य-पृष्ठ के संगत स्तम्भ पर भी चढ़ायेगा । उसकी लिखावट साफ होनी चाहिए । यदि कहीं संशोधन की आवश्यकता हो तो साफ काटकर पुनः लिखेगा और अपना हस्ताक्षर करेगा ।

Contra

- (घ) उत्तर पुस्तिका में अंको का योग यदि विभिन्न में आता हो तो वह अगला पूर्णांक मानकर मुख्य पृष्ठ पर अंकित करेगा जैसे - $25 \frac{1}{2}$ को 26 चढ़ावेगा ।
- (च) प्राप्त ऐमोरेन्डम के आलोक में सह परीक्षक कम से कम दस उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर प्रधान परीक्षक को समीक्षा हेतु भेजेगा और उससे प्राप्त मार्ग दर्शन के आलोक में उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण एवं संशोधन करेगा । परीक्षोपयन्त उत्तर पुस्तिका प्रधान परीक्षक को सुपुर्द करेगा ।
- (छ) अंक प्रपत्र की सादी प्रतियां सह परीक्षक को दी जायेगी ।
- (ज) सह परीक्षक एवं प्रधान परीक्षक परीक्षाफल प्रकाशन की अवधि तक अंक की गोपनीयता रखेगा ।
- (झ) यदि सह परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल में कोई अप्रत्याशित घटना देखता है तो वह तुरन्त प्रधान परीक्षक के ध्यान में लायेगा ।
- (ट) सह परीक्षक प्रतिदिन कम से कम 30 तथा अधिक से अधिक 60 उत्तर पुस्तिकाओं का ही परीक्षक करेगा ।
- (ठ) एक विषय के लिये नियुक्त परीक्षक सामान्यता दूसरे विषय के परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

अध्याय - 5

परीक्षाफल घोषित करने एवं प्रकाशन की विधि ।

25.

यदि परीक्षार्थी उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम योगांक प्राप्त किया है और किसी एक विषय में 5 अंक अथवा दो विषयों में 3 प्रतिशत अतिरिक्त तक कम हो तो उसे सम्बद्ध विषय में वार्षिक अंक जोड़कर उपयुक्त श्रेणी में परीक्षाफल घोषित किया जायेगा ।

26.

श्रेणी सुधार हेतु पुनः परीक्षा

1. यदि कोई छात्र बोर्ड की परीक्षा में श्रेणी सुधार करना चाहे तो वह पुनः अगले तीन वर्षों के भीतर श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा के ऐच्छिक विषय में या पूर्व में लिये गये ऐच्छिक/ अतिरिक्त विषय का परिवर्तन कर स्वतंत्र रूप से आधा शुल्क देकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है ।
2. (क) सचिव सबधित विषयों की परीक्षाफल एवं लब्धांक की संसूचना करेगा,
 (ख) मूल के अतिरिक्त लब्धांक पत्र की प्रतिलिपि पाने के लिये 15-00 रूपये का शुल्क देय होगा ।

27. 4/22
27/4/22

3. (क) यदि कोई परीक्षार्थी इस बात का उत्सुक हो कि वह किसी एक विषय अथवा अन्य विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण करावें तो निर्धारित शुल्क जमा कर बोर्ड में आवेदन कर सकता है। इस तरह का आवेदन परीक्षाफल प्रकाशन के एक माह के भीतर दिया जायेगा। एक पत्र की पुनः परीक्षा के लिये 30 रुपये तथा अधिकतम 100-00 रुपये शुल्क जमा कराकर पुनः परीक्षण कराया जा सकेगा। पुनः परीक्षण में प्रश्नों में दिये गये मात्र अंकों का योग ही होगा और यदि उसमें कोई त्रुटि रह गयी हो तो अध्यक्ष का आदेश प्राप्त कर उसकी सुधार विधा जायेगा।

(घ) उपर्युक्त प्रक्रियाधीन संबंधित पत्र का पुनः परीक्षण कराने की व्यवस्था बोर्ड करेगा।

(ग) इस तरह का आवेदन संस्था के प्रधान के माध्यम से बोर्ड कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा।

27. स्थायी प्रमाण - पत्र

(क) परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का स्थायी प्रमाण पत्र सामान्यता परीक्षा प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर निर्गत किया जायेगा। इसके लिये अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा। स्थायी प्रमाण पत्र संस्था के प्रधान को भेज दिया जायेगा जहां से छात्र अध्ययन किया है। यदि इस अवधि के भीतर किसी परीक्षार्थी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो बोर्ड निर्धारित शुल्क लेकर सात दिनों के अन्दर अस्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।

(ख) संस्था के प्रधान स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात अपने अभिलेखों से सभी प्रमाण पत्रों की जांच करेगा और सही होने पर संगत अभिलेखों में प्रविष्टि करते हुये छात्र से हस्ताक्षर प्राप्ति कर हस्तगत करायेगा। यदि प्रमाण पत्र में कोई भूल या त्रुटि नजर आये तो इसकी सूचना बोर्ड सचिव को देगा और त्रुटियों के परिमार्जन कराने के पश्चात ही वह आगे की कार्रवाई करेगा।

(ग) यदि बोर्ड के कार्यालय में स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत के समय यह पता चले कि आवेदन पत्र में कुछ सूचनाओं का अंकन नहीं हुआ है, अथवा कुछ गलत सूचना छात्र द्वारा अथवा संस्था के प्रधान के द्वारा अंकित की गयी है, तब प्रमाण पत्र को बोर्ड कार्यालय में लम्बित रखा जायेगा तथा संशोधनोपरान्त मूल प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

*Contra
.....*

12/12/2012

27/12/2012

(घ) यदि किसी छात्र का स्थायी प्रमाण पत्र खो गया हो अथवा अन्य किसी अप्रत्याशित कारणों से नष्ट हो गया हो तो द्वितीयक स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। इसके लिये छात्र के द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से बोर्ड के कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ द्वितीयक के लिये 25-00 रुपये का शुल्क देय होगा।

२४. प्रवर्जन प्रमाण-पत्र।

1. यदि कोई छात्र विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा गृहीत परीक्षा के पश्चात किसी अन्य राज्य में अध्ययन करना चाहें तो उसे बोर्ड द्वारा प्रवर्जन प्रमाण-पत्र 25-00 रुपये शुल्क जमा करने पर दिया जायेगा। द्वितीयक प्रवर्जन प्रमाण पत्र भी नियमानुसार 50-00 रुपये शुल्क जमा करने के पश्चात दिया जायेगा।
2. उपर्युक्त सभी प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर परीक्षार्थी को निर्गत कर दिया जायेगा।

२५.

उत्तरपुस्तिकाओं का संचयन - परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से छः माह तक परीक्षित उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जायेगा। यदि जांच के क्रम में आवश्यक हो तो संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं को आगे भी सुरक्षित रखा जायेगा।

अध्याय - 6

30. बोर्ड परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के लिये पारिश्रमिक की दर - विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर दर निर्धारित कर किया जायेगा।
31. परीक्षा से संबंधित अन्य ऐसे मामले जिसके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, के संबंध में बोर्ड, राज्य सरकार की अनुमति से उपबन्ध कर सकता है। इस तरह का कोई आदेश या निदेश इस विनियमावली का अंग माना जायेगा।
32. इस विनियमावली के किसी खंड या उपखण्ड के लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को आदेश द्वारा राज्य सरकार दूर कर सकती है।

*Continued
next page
2 ~ 11/11*

(2) 11/11